

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 50/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 08.10.2020

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. द शेखस इंटरनेशनल ट्रेडिंग एलएलपी, सोलकर मंज़िल, निशानपाड़ा क्रॉस लेन, अमीन हॉस्टल के नीचे, डोंगरी, मुंबई-400009 और 8 अन्य.	फ़ा सं. DRI/MZU/D/ Int/85/2017/ The Shaikhs दिनांक 10.07.2020, दिनांक 21.09.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, न्यू कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (इम्पोर्ट-1), न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड स्टेट, मुंबई. आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, ग्रुप-1. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस,	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, न्यू कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला.

			<p>ऑल इंडिया रेडियो के निकट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद.</p> <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, गुप-VI, न्हावा शेवा-V, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p> <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (ड्रॉबैंक), न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p> <p>आयुक्त सीमा शुल्क (IV), निर्यात, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी(पूर्व), मुंबई के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (ड्रॉबैंक).</p>	
2.	<p>मै. हेमराज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 46B, रफी अहमद किदवई रोड, 1^{ला} तल, कोलकाता</p>	<p>फ़ा सं. DRI/LZU- CI/26/Enq-25 (Int.0)/2016/ Hemraj दिनांक 30.07.2020.</p>	<p>प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.</p> <p>सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला.</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता. (तालिका के क्रम सं. 2 और 3 के लिए)</p>
3.	<p>श्री ऋषि अग्रवाल, निदेशक, मै. हेमराज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 46B, रफी अहमद किदवई रोड, 1^{ला} तल, कोलकाता</p>	<p>फ़ा सं. DRI/LZU/ CI/26/Enq-25 (Int.0)/2016/ Hemraj दिनांक 22.09.2020</p>	<p>प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.</p> <p>सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला.</p>	
4.	<p>मै. विकास वैलडिंग कंपनी, (अपने पार्टनर श्री विकास सेटिया के जरिये), 1, जी टी कर्नाल रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110033 और श्री विकास सेटिया,</p>	<p>फ़ा सं. DRI/HQ-CI/C- Cell/50D/ Enq-34/Int- 12/ 2019 दिनांक 11.09.2020</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p> <p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्कबाद, नई दिल्ली.</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p>

निवासी 28, निशांत कुंज, पीतम पुरा, दिल्ली-110034.		सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	
---	--	--	--

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-32/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-लखनऊ और मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें
4. उप निदेशक(सीआई), सी-सेल, राजस्व आसूचना निदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिस के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें